प्रेस-विज्ञप्ति

दीव में दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए सूचना जारी, केवल स्थायी दुकानों में ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी

दीव 09 नवम्बर, 2020 : दीव जिला प्रशासन ने इस वर्ष दिवाली के अवसर पर होने वाले पटाखों की बिक्री के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दीव के उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा आम नागरिकों के लिए जारी सूचना के मुताबिक बिक्रेताओं को दिवाली के अवसर पर पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। इच्छुक व्यक्ति को विहित प्रपत्र-ए.ई.-6 में दो प्रतियों में आवेदन करना होगा। आवेदन प्रपत्र समाहर्तालय के मजिस्ट्रेट अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की तिथि 9 से 11 नवम्बर, 2020 है।

दीव में इस बार सिर्फ स्थायी दुकानों में ही पटाखों की बिक्री की अनुमति प्रदान की जाएगी। पटाखों की बिक्री की अनुमति 12 नवम्बर से 15 नवम्बर तक दी जाएगी। किसी भी अस्थायी दुकान या स्टॉल को पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। जिला मजिस्ट्रेट दीव द्वारा विहित लाईसेंस प्रपत्र-एल.ई.-6 में पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आवेदक को अनिवार्य रूप से लाईसेंस शुल्क के रूप में 500/- जमा करने होंगे।

दीव जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना के मुताबिक समाहर्तालय से लाईसेंस प्राप्ति के बिना पटाखों की बिक्री या उसका भंडारण दंडनीय अपराध है, जिसके लिए अर्थदंड या कैद की सजा हो सकती है।

हस्ता/-

(जन-संपर्क अधिकारी)

दीव